राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रेम देवी बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
307/2021		
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो ।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25/03/2021 पारित करते हुए प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नही होना धारित करते हुए प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ख़ारिज फरमा दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी । जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीयां द्वारा चाहा गया रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमि जिसकी किस्म चारागाह है, में से चाहा जाना स्पष्ट होने एवं प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि में से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नही होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रार्थना पत्र धारा 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25/03/2021 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।	